हसीन शेर

ये सूरज पे घर बनाना
और उस पे छांव तलाश करना
खड़े भी होना दलदलों पे
और अपने पांव तलाश करना
निकल के शहरों में आ भी जाना
चमकते ख्वाबों को साथ लेकर
बुलन्द औ बाला इमारतों में
फ़िर अपने गांव तलाश करना
कभी तो बायत फ़रोख्त कर दी
कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी
मेरे वकीलों ने मेरे होने की
सब दलीलें फ़रोख्त कर दी
वो अपने सूरज तो क्या जलाते
मेरे चरागों को बेच डाला
फ़रात अपने बचा के रखे
मेरी सबीलें फ़रोख्त कर दी
खुदा है लोग गुनाह ओ सबाब देखते हैं
हम तो रोज़ ही रोज़े हिसाब देखते हैं
कुचल-कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना
यहां पर रात को मज़दूर ख्वाब देखते हैं
जो दिख रहा है उसी के अन्दर
जो अनदिखा है वो शायरी है
जो कह सका था वो कह चुका हूं
जो न कह सका वो शायरी है
दिलों के मावेन गुफ्तगूं में
तमाम बातें इजाफ़तें हैं
तुम्हारी बातों का हक ए तवाकुफ़
जो बोलता है वो शायरी है
ये शहर तो रौशनी में खुला पड़ा है
सो क्या लिखूं मैं
जो दूर जंगल की झोपड़ी में जो दिया है
वो शायरी है
तमाम दरिया जो सब समन्दर में गिर रहे हैं
तो क्या अजब है
वो जो एक दरिया रस्ते में ही रह गया
वो शायरी है
नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखे
उसके इंजील से चेहरे पे जबूरी आंखे
छोड़ आया हूं किसी आंख की बिनाई को
और बचा लाया हूं चेहरे पे अधूरी आंखें
जादू है सभी का कई मन्त्र लेकिन
सब्ज गूं है कही नीली कहीं भूरी आंखे
उसको पहलू में बिठा कर उसे तकने का नशा
किस कदर हो गई ज़रूरी आंखें ।

– मलिक

महीनों से धरने पर बैठे पीड़ित, कोई सुनाई नहीं

पेज एक का शेष

प्लॉटों की बाकायदा तहसील में रजिस्ट्री कराई जाती थी। जाहिर है रजिस्ट्री होने के बाद खरीददार का विश्वास पक्का हो जाता है। उसको सौदे में कुछ भी फ़जीवाड़ा नज़र नहीं आता। ऐसे में एक को देख कर दूसरा व तीसरा ग्राहक आते-आते ग्राहकों की लाइन लग जाती है। बिके प्लॉटों पर धड़ाधड़ मकान भी बनने लगे। राजनीतिक एवं रिश्वत के दबाव में अब्वल तो यहां कोई तोड़-फ़ोड़ होती नहीं थी कभी होती भी तो बस दिखावटी खानापूर्ति के लिये।

सन् 2008 में सोसायटी के कुछ सदस्य सक्रिय होने का साहस जुटा पाये। उन्होंने कुछ फ़र्जी रजिस्ट्रियां पकड़ीं और उन्हें अदालत में चैलेंज किया, जबकि पुलिस ने इस फ़र्जीवाड़े के विरुद्ध एफ़आईआर तक भी दर्ज करने से इनकार कर दिया। अपनी ज़मीन लुटते देख कर धीरे-धीरे सभी सदस्य सक्रिय होने लगे। सन 2008 में सोसायटी का पुनर्गठन किया गया। सैंकड़ों फ़र्जी रजिस्ट्रियां तलाश कर उन्हें अदालत में खींचा गया। भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय आपराधिक न्यायव्यवस्था के चलते फ़जीवाड़े के किसी भी अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई; बस कोर्टों में केस चलते रहे, तारीख पर तारीख लगती रही और भूमाफ़िया बेरोक टोक अपना धंधा चलाते रहे।

प्लाटों की फ़र्जी बिक्री व अवैध निर्माणों के विरुद्ध अदालत से सटे आर्डर प्राप्त कर लेने के बावजूद दोनों काम ज्यों के त्यों चलते रहे। डीटीपी विभाग एक ओर सरकारी खर्च पर तोड़-फ़ोड़ का नाटक करता रहा और साथ ही अवैध निर्माण भी होते रहे। कितनी शर्मनाक विडम्बना है कि जिस अवैध काम को स्वत: रोकना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, उसे न्यायिक स्थगन आदेश के बावजूद भी नहीं रोका गया। न्यायपालिका भी मूक दर्शक की भूमिका से कुछ अधिक नहीं निभा सकी। और तो और इतने बड़े फ़र्जीवाड़े की रोक-थाम के लिये इस क्षेत्र में नवीन नगर नाम से एक पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी गयी; लेकिन चौकी वालों ने भी लूट में अपना खाता खोल दिया। फ़लस्वरूप भूमाफ़ियाओं के विरुद्ध दी गयी सैंकड़ों शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

धारा 156 (3) के तहत कोर्ट के आदेश पर एफ़आईआर नं. 472 दिनांक 2.9.13 को दर्ज़ हुई। इसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 420, 467,471 व 120 बी आदि लगाई गयी। लेकिन ऊपर से नीचे तक बिकी हुई पुलिस ने कोई कार्यवाही करने के बजाय इस एफ़आईआर को खारिज करने की तैयारी कर ली। इस बीच बतौर पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव की 2014 में तैनाती हो गयी। मामला उनके संज्ञान में आने पर सख्त कार्यवाही के चलते भू-माफ़ियाओं में भगदड़ मच गयी। अवैध निर्माण धड़ाघड़ गिरने लगे, प्लॉट बेचने वाले भाग खड़े हुए, बिके हुए प्लाटों की किश्तें आनी बन्द हो गयी। भू-माफ़िया एवं स्थानीय नेता परेशान हो गये। पैरों तले की धरती तपने लगी तो सुभाष यादव के तबादले के लिये चन्दा एकत्र किया जाने लगा। करोड़ों रुपया एकत्र होने की चर्चा है। मार्च, 2016 में उनके तबादले के बाद इसका श्रेय लेने वाले भू माफ़ियाओं ने तुरन्त अपनी फ़र्जीवाड़े की रफ़्तार पकड़ ली है।

सुभाष यादव से इतने परेशान क्यों रहे भू-माफ़िया

सी पी सुभाष यादव ने अपने सीधे दिशा निर्देशन में रधुबीर सिंह नामक एक एसआई. (सब-इंस्पेक्टर) को इस मामले को सख्ती से निपटने के आदेश दिये। इसके फ़लस्वरूप जो पुलिस सितम्बर 2013 की एफ़आईआर को खारिज करने जा रही थी, न केवल उसमें गिरफ़्तारियां की गयीं बल्कि धड़ा-धड़ और भी एफ़आईआर दर्ज होने लगीं। एक एफ़आईआर में 2 गिरफ़्तार हुए तो 16 ने अग्रिम जमानत कराई। करीब 46 से अधिक लोग एफ़आईआर में नामज़द हुए जो सुभाष यादव के कमिश्नर रहते घर छोड़ कर भाग गये। यादव के कमिश्नर रहते वहां एक ईंट भी नहीं लग पाई।

सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय के बाहर दो वर्ष से धरने पर बैठे सोसायटी वालों ने अपने बैनरों पर बाकायदा, अवतार भड़ाना, करतार भड़ाना, कृष्णपाल गूजर, ललित नागर व टेकचन्द विधायक के नाम फ़र्जीवाड़े के पीछे बताते लिखे हुए हैं। इन सबकी सामूहिक राजनीतिक शक्ति भी भू-माफ़ियाओं को सी पी यादव के भय से मुक्त नहीं कर पाई तब बड़े पैमाने पर चन्दा एकत्र करने व उसे हथियार बना कर यादव के तबादले की योजना बनी।

अब देखना है कि नये सी पी डॉ. हनीफ़ कुरैशी भू-माफ़ियाओं को राहत पहुंचा कर आपराधियों के हौंसले बुलंद करते हैं या सोसायटी वालों को न्याय दिला कर कानून एवं पुलिस का इकबाल बुलंद करते हैं।

नाम ही बदल सकते हैं.....

यक्ष – गुड़गांव के गुरुग्राम नामकरण के बाद किसकी बारी है ?

युधिष्ठिर – पानीपत की। खबर है उसे जलपति किया जा रहा है। उसके बाद भिवानी को भवानी ।

यक्ष – खबर मिली है तो उसमे कोई दम नही होगा। समाचार मिला होता या आकाशवाणी हुई होती तो अवश्य सत्य होती।

युधिष्ठिर – एक आकाशवाणी भी हुई है यक्ष।

यक्ष – कौन सी ?

युधिष्ठिर – यही कि , स्टैंड अप इण्डिया प्रोग्राम अब उत्तिष्ठ भारत योजना होने जा रही है।

यक्ष – मनोहर लाल के ज्ञानचक्षु अकस्मात कैसे खुल गए राजन ?

युधिष्ठिर – अकस्मात नही खुले यक्ष। उन्हें पहले से दिव्यदृष्टि प्राप्त है। उनके दिव्य चक्षु होने का ज्ञान आदरणीय मोदी जी को पहले से था। उनके चयन का आधार भी यही विशेषता बनी।

स्मरण तो होगा ही कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले लुप्त सरस्वती को पुनर्जीवित करने हेतु उत्खनन आरम्भ किया था। उनका यह ज्ञान स्रोत उसी लुप्त सरिता के उत्खनन का परिणाम है।

– पंकज मिश्र

हरियाणा में जातिवादी रंग में रंगे जाँच कमीशन भी

पेज एक का शेष

ध्यान रहे कि प्रकाश सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और दोनों मिलकर हरियाणा में भाजपा की पैंतीस बिरादरी बनाम जाट बिरादरी वाली लाइन को सहारा दे रहे हैं। इस प्रयास में अगर हरियाणा पुलिस की ऐसी-तैसी होती है तो उन्हें भला परवाह क्यों होने लगी। प्रकाश सिंह की जांच में उनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस केपी सिंह शामिल थे। इन्हें अब प्रदेश का डीजीपी बनाकर पुरस्कृत किया गया है। हालाँकि केपी सिंह की ख्याति चौटालों के मोहरे की रही है पर फिलहाल यह पुलिस अफसर भाजपाइयों को उनके जातिवादी एजेंडे को सहारा देता नजर आ रहा है।

जातिवादी ध्रुवीकरण की अलख जगाये रखने के लिए खट्टर सरकार ने एक न्यायिक आयोग की घोषणा भी की है जिसका कार्यकाल छह माह रखा गया है। पर सभी जानते हैं कि ऐसे न्यायिक आयोग काम को वर्षों खींचते चले जाते हैं। वैसे भी इसके दोनों सदस्य, जज आरसी झा और पुलिस अधिकारी एनसी पाधी आरएसएस कैंप से आते हैं। वे वही लिखेंगे जो मोदी-राजनाथ उनसे लिखवायेंगे।

सवाल है क्या हरियाणा की जनता इस भाजपाई खेल की मूक दर्शक बनी रहेगी ?

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर – 9971064207
9. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी – वकील साहब